

पत्रावली वैरा हुई। वकील प्रवी एवं
 धर्मालय अनुपरिचय। न्यायालय द्वारा
 बार-बार आवेज लगाई गई। कोई
 उपस्थित नहीं। पत्रावली अब हाजिरी
 अबक घरेबी में खारिज की जाती है।
 पत्रावली कुंसा ल शुमार होकर दायित्व
 दफ्तर हो नम्बर से कम हो। कुंसा
 कुल न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी

